THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

The 24th March, 1947.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Patna on Monday, the 24th March, 1947, at 11-30 A.M., the Hon'ble the Speaker, Mr. Vindhyeshvwari Prasada Varma, in the Chair.

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

RAID OF THE SASARAM THANA CONGRESS COMMITTEE BY THE POLICE.

11. **Mr. JAGANNATH SINGH :** Will the Hon'ble Prime Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Sasaram Thana Congress Office in the district of Shahabad was raided by the local police during the night of the 14th March, 1947 and two Congress workers were arrested without any justification;

(*b*) whether it is a fact that Mr. Abbas, Sub-Inspector of Police demanded from the Secretary at the point of pistol certain papers which concerned the charge of bribery against Cruelty to Animal Inspector;

(*c*) if answer to clauses (*a*) and (*b*) be in the affirmative, what action Government propose to take against the officers responsible for said conduct ?

The Hon'ble Mr. SRI KRISHNA SINHA : (*a*) The matter is under a judicial enquiry by a Magistrate, following a complaint by Jai Singh and Kirtan Singh of Sasaram, and Government are, therefore, not in a position to answer this question at present.

(*b*) This question is also the subject of a Magisterial enquiry and the report of the enquiring Magistrate has not yet been received.

(*c*) In view of answers to (*a*) and (*b*), the question does not arise at this stage.

CONVERSION OF BIHARI HINDUS TO SIKH RELIGION.

12. **Dr. SACHCHIDANANDA SINHA:** Will the Hon'ble the Prime Minister be pleased to state—

(*a*) if the attention of Government has been drawn to the announcement in the press that no less than 10,000 Bihari Hindus had lately become Sikhs, and if so, whether Government have any reliable information on the subject;

UNDESIRABILITY OF SPENDING HUGESUM OF MONEY ON THE MASS LITERACY SCHME.

MR. LAKSHMI NARAYAN SUDHANSHU: प्रमुख महोदय, अभी आपके सामने माननीय शिक्षा मंत्री ने ग्राण्ट के लिए जो प्रस्ताव पेश किया है उसी के संबंध में मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ।

THE. HON'BLE THE SPEAKER: पहले आप अपना कटौती का प्रस्ताव (Cut motion) पेश कर दीजिए।

MR. LAKSHMI NARAYAN SVDHANSHU: मैं पेश करता हूँ:

That the provision of Rs. 2, 93, 953 for the "Mass Literacy works" be omitted.

(To discuss the undesirability of spending such a huge sum on the scheme in view of the pooreturn which the people get from it.)

मेरे कटौती के प्रस्ताव की मंशा यह है कि विहार सरकार सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) के संबंध में जितना खर्च कर रही है उसके अनुपात से जनता को लाभ नहीं पहुँचता है। मैं यह नहीं कहता कि उसका एक-एक पैसा बरबाद होता है, लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जितनी बड़ी रकम इस काम के लिए खर्च की जा रही है उसके मुकाबले में जनता को कोई लाभ नहीं पहुँचता है और उस रुपये से दूसरा कोई काम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। मैं इस संबंध में दो पहलुओं पर विचार करूँगा कि अभी सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) का काम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से उसको चलना चाहिए, अगर यह जरूरी समझा जाय। अभी पिछली मिनिस्ट्री में डाक्टर सैयद महमूद को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने इस स्कीम को चालू किया और आज नौ दस वर्षों के लगभग होता है, सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) का काम इस सूबे में किसी-न-किसी तरह से थोड़ा बहुत हो रहा है और वह अभी भी चालू है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि यह जो सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) का काम देहातों में चल रहा है ठीक तरह से नहीं चला रहा है। केवल ठीक से चलने के संबंध में ही नहीं, बल्कि स्कीम में भी कुछ

गड़बड़ी मालूम होती है। देहातों में जो हलवाहे, मजदूर और किसान हैं, जो किसी कारण से स्कूल में दाखिल नहीं हो सके हैं, कुछ पढ़ लिख नहीं सके हैं, उन्हीं को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से यह इन्तजाम किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह काम किया जा रहा है वह वस्तुतः ठीक से चल रहा है या नहीं। देहातों में या ख़ास करके जो एरिया intensive मानी गयी है और जहाँ अच्छी तरह से काम करने की जिम्मेवारी ली गयी है। हर जिले में एक-एक थाना में intensive तरीके से काम चलाने का सिलसिला जारी किया गया है। वहाँ भी एक बात की गड़बड़ी देखने में आती है कि वहाँ जो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए वह भी नहीं है। वहाँ रात्रि पाठशालाएँ हैं। जो मजदूर या किसान या दूसरे लोग दिन में दूसरा धंधा करते हैं रात में वहाँ आते हैं, शाम को पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं और कुछ ऊँघते भी हैं। नतीजा यह होता है कि जो लोग स्कूल में भर्ती हैं वे सब साक्षर हो जाते हैं, कुछ पढ़ लिख लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ नये जो लड़के रहते हैं उनकी पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं है। इसलिए उस पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं हुआ है। हम केवल बड़े बूढ़ों को पढ़ाना चाहते हैं पर साथ ही साथ ऐसे लड़कों के बारे में कुछ नहीं होता है। उसी intensive area में, जहाँ बड़े बूढ़े पढ़-लिख जाते हैं, छोटे बच्चे मूर्ख रखे जाते हैं। उनकी पढ़ाई का इन्तजाम नहीं है। यह जो कमीशन देने का सिलसिला है, स्लेट, किरासन तेल, लालटेन वगैरह चीजें जो दी जाती हैं इसका नतीजा यह होता है कि बहुत सी चीजें इसी तरह बरबाद हो जाती हैं और मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ और अगर शिक्षा मंत्री महोदय सबूत चाहेंगे तो मैं सबूत दे सकता हूँ कि इस तरह से बहुत ज्यादा रुपया बरबाद होता है। ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, कुछ छिपा ली जाती हैं, कुछ पाकेट में रख ली जाती हैं और कुछ इधर-उधर फेंक दी जाती हैं। पचास प्रतिशत या आधा से ज्यादा रकम इसी तरह बरबाद होती है। देहातों में बहुत से लोग ऐसे भी पाये जाते हैं जो केवल कमीशन की लालच से और कुछ श्रेय लेने के लिए इस काम में लगे हुए हैं। बल्कि वे पढ़े लिखे लोगों का नाम दर्ज करा देते हैं और परीक्षा पास कर जाने पर उनको नेकनामी हासिल हो जाती है। इसलिए इस स्कीम से वस्तुतः जनता को लाभ नहीं पहुँचता अतएव मेरा सुझाव यह है कि इतनी बड़ी रकम जो खर्च की जा रही है उसको बंद कर देना चाहिए और अगर साक्षरता का ही आन्दोलन चलाना है तो उसको दूसरे तरीके से चलाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी आन्दोलन चलाया जाता है तो सबसे पहले झोपड़ी तक उसको पहुँचना होता है। महात्मा गाँधी ने भी जागृति के लिए सबसे पहले महल के अलावा महल को छोड़कर या महल से लेकर झोपड़ी तक जाना पसन्द किया। मैं समझता हूँ कि सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) का आन्दोलन झोपड़ी तक पहुँचने के उद्देश्य से

ही जारी किया गया था लेकिन यथार्थतः वह झोपड़ी तक पहुँचता नहीं है। कोई भी जन आन्दोलन चलाने के लिए धार्मिक आधार चाहिए क्योंकि जनता धार्मिक आधार पर बहुत कुछ कर सकती है और करती है। यहाँ तक कि हमारे हिन्दुस्तान में चाहे हिन्दू हो या मुसलमान सभी धर्म के आधार पर बहुत कुछ आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक काम करते हैं, जैसे प्राचीन काल में या आज तक भी रामायण पढ़ने की परिपाटी थी। लोग रात में एक जगह आते थे, रामायण पढ़ने के साथ २ कुछ सदुपदेश भी होता था और साथ ही बहुत जरूरी बातें भी होती थीं जिनमें नैतिक और धार्मिक विचार प्रधान थे और अब हमारा प्रधान उद्देश्य यही रह जाता है कि किसी तरह से लोगों को वर्णमाला सिखायी जाय और उसके बाद छोटी २ किताबें दें। जहाँ बहुत से लोग पढ़ते हैं वहाँ बहुत सी किताबों का इन्तजाम भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारा ख्याल है कि साक्षरता या वर्णमाला बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक साधन या जरिया हो सकती है। पर बचपन में जिन्होंने इसको अख्तियार नहीं किया उनको दूसरे तरीके से ज्ञान आ सकता है। सौभाग्य की बात है कि शिक्षा के साथ २ प्रकाशन (Publicity) और सूचना (Information) विभाग भी मिले हुए हैं। ऐसा काम करना चाहिए जिसमें देहातों में जाकर लोगों को बौद्धिक शिक्षा का भी ज्ञान कराया जा सके। अक्षर ज्ञान में तो दो, तीन या छः महीने लगा सकते हैं लेकिन थोड़े खर्च और थोड़े समय में ज्यादा काम हो सकता है। लोगों को जानना चाहिए कि योग्य नागरिक के क्या गुण हैं, उनके देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है। इन सबके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि 'क' 'ख' पढ़ते हैं, दिनभर काम करके शाम को आते हैं, थके हुए आते हैं, और या तो वहाँ जाने से बहाना कर देते हैं या दो चार मिनट को जाते हैं और धुंधली रोशनी में पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं चलती है। इसका नतीजा यह होता है कि अधिकांश पढ़ने का समय बरबाद होता है और कोई बौद्धिक शिक्षा तो होती ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गाँवों में खास कर जहाँ Intensive area हैं, ऐसी पाठशालायें खोली जायें जहाँ अनिवार्य शिक्षा हो और मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। अगर जिले भर में नहीं तो कम से कम उस थाने में जहाँ Intensive mass lieteracy का काम चल रहा है, ऐसा हुआ तो एक गाँव भी नहीं बचेगा जहाँ छोटे २ बच्चे बिना पढ़े लिखे रह जायँ। जो सोता भर गया है उसके अगर निकलने का उपाय नहीं किया जाय तो हानि की संभावना होती है। उसी तरह उनके पढ़ने का इन्तजाम नहीं किया जायेगा तो एक ओर तो कुछ बूढ़े लोग पढ़ेंगे और दूसरी ओर अच्छी खासी संख्या में बच्चे लोग अनपढ़ रहेंगे और इस तरह यह सामूहिक साक्षरता (mass literacy)

का सिलसिला शताब्दियों तक चलता रहेगा लेकिन किसी देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि यह सिलसिला इतने दिन तक चलता रहे। मैं जानता हूँ कि देहात के रहने वालों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। सोलह आने में एक आना भी कहना अधिक माना जायेगा। लेकिन इतनी बड़ी रकम से अगर सरकार चाहे तो उसी एरिया में अनिवार्य शिक्षा (compulsory education) करके और गाँव २ में पाठशाला खोल करके काम चला सकती है। अनिवार्य शिक्षा का दूसरा पहलू भी है और वह है निःशुल्क शिक्षा। जहाँ शिक्षा अनिवार्य हो, वहाँ उसे निःशुल्क भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य को रख कर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा है और मैं समझता हूँ कि सरकार को अप्रतिष्ठा की बात समझ कर इसके मानने में इनकार नहीं करना चाहिए। बहुधा ऐसा होता है कि कोई भी प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है तो सरकार यह समझती है कि इसको मान लेने से यह माना जायेगा कि सरकार ने दूसरे की बात मान ली। इसलिए प्रतिष्ठा के बाहर समझ कर सरकार उसे नहीं मानती है। लेकिन यह अच्छी बात होगी अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर कर अच्छी तरह से स्कीम चलाने के लिए कदम बढ़ावे। इससे देश को ज्यादा लाभ होगा और उसी उद्देश्य की पूर्ति होगी जिस उद्देश्य से आप सामूहिक साक्षरता (mass literacy) का काम चला रहे हैं। मेरा इतना ही कहना था और मैं यही कह कर यह कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ।

RAI SAHIB BUNDI RAM ORAON: सभापति महोदय, मैं Mass literacy के खिलाफ बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ बल्कि हमारे जिलों में जो Mass literacy के चीजों की नुकसानी और बरबादी होती है और इसके मुतल्लिक जहाँ तक मेरा तजरबा है, उसको मैं कह देना चाहता हूँ। Mass literacy का काम होना चाहिए और इससे जरूर कुछ फायदा होता है मगर इससे उतना फायदा नहीं होता जितना Compulsory education से होता। हमारे गरीब भाई लोग दिन भर काम करते हैं। जब शाम को काम करके आते हैं तो थके मांदे रहते हैं और खाकर सो जाते हैं। इस तरह से Mass literacy से उनको कोई फायदा नहीं होता है। बल्कि उनके छोटे २ बच्चों को Mass literacy centres में रात में पढ़ाया जाता तो इससे बहुत फायदा होगा। वे दिन भर काम करते और रात में पढ़ते। जितना पैसा Mass literacy में खर्च होता है अगर उसको Compulsory education में खर्च किया जाता तो और अच्छी बात होती, Compulsory education कर देने से सब लोगों को जरूर पढ़ना होगा और दिन भर काम करने बाद उन लोगों को रात में मौका मिल जाता और कुछ पढ़ जाते। मेरी राय है कि जो रुपया Mass laiteracy पर खर्च होता

है उसको Compulsory education में खर्च किया जाय तो बड़ी अच्छी बात होती। शाम होते ही लड़के सब वहाँ पढ़ने के लिए आ जाते और उनके पढ़ने के लिए रोशनी इत्यादि का इन्तजाम कर दिया जाता। हमारे छोटा नागपुर में अभी साक्षरता बढ़ी नहीं है। थोड़े ही रोज के अन्दर अगर इस तरह का इन्तजाम होता तो बड़ा फायदा होगा। इसलिए यह राय करके डिस्ट्रिक्टबोर्ड और लोकलबोर्ड—

THE HON'BLE THE SPEAKER: Order, order. अभी जो कट मोशन है उसमें तीन लाख खर्चा का जिक्र है। तीन लाख में Compulsory education कैसे हो सकता है इसका अंदाजा आप बता सकते हैं।

RAI SAHEB BUNDI RAM ORAON: मास लिटरेसी (Mass literacy) में जितना रुपया खर्च किया जा रहा है वह बेकार है। बूढ़े लोगों को पढ़ाने के लिये तो चन्द हजार खर्च किया जाता है मगर उनके लड़कों के पढ़ाने का कोई इन्तजाम नहीं है। जो गढ़े में जा रहे हैं उनको आप शिक्षा दे रहे हैं और जो दुनिया में रहने वाले हैं उनको छोड़ देते हैं। यह कौन सी बुद्धिमानी है। बूढ़े लोगों को पढ़ा कर आप क्या फायदा उठायेंगे। हमलोगों के दिन तो गिने हैं। बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा। आप होनहार बच्चों के पढ़ाने में खर्च करें जो कि देश का कल्याण करेंगे।

MR DHANRAJ SHARMA: पुराने चावल का पथ बनता है।

RAI SAHEB BUNDI RAM ORAON: मेरी सलाह तो यही है कि Mass literacy में जो खर्च कर रहे हैं उसको बच्चों की पढ़ाई में खर्च कीजिये। आप उनके लिये स्कूल खोलें और उनकी पढ़ाई में जहाँ तक हो सके खर्च करें तो बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

(Pandit *Bvdhinath Jha rose to speak.*)

THE HON'BLE THE SPEAKER: Order, order. In view of cut-motion No. 574 having been moved, the moving of the next motion, viz. No. 575 is rendered nugatory as itis substantially identical But I may allow Mr. Dip Narayan Sinha who has given notice of that cut-motion to speak on the former motion. Mr. Budhinath Jha may first speak.

PANDIT BUDHINATHJHA: प्रमुख महोदय, Mass literacy के सम्बन्ध में हमारे मित्र बाबू लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। Literacy के नाटक का यह दूसरा दृश्य है और दूसरे दृश्य का यह दूसरा अंक है। यह नाटक सन् १६३८ ई० में डाक्टर महमूद की कृपा से शुरू हुआ और उन्हीं के प्रयत्नों का यह फल आज हम यहाँ देख और सुन रहे हैं। हमको याद है जिस वक्त यह शुरू हुआ था असेम्बली के मंच से ही नहीं बल्कि बाहर की सभी जगहों में इसकी प्रशंसा होने लगी कि हिन्दुस्तान में अद्वितीय काम होने जा रहा है। सभी सूबों से ही बधाई के तार नहीं आये अपितु फ्रान्स, अमेरिका और अन्य सुदूर देशों से इस कार्य के लिये डाक्टर साहब के यहाँ इस तरह के Congratulatory telegrams आये कि हिन्दुस्तान में सूबे बिहार के शिक्षा मंत्री की सूझ ऐसी अद्भुत है कि दुनिया में किसी को आज तक वह बात सूझी ही नहीं। सबको बड़ी खुशी हुई। हमने समझा कि यह सूबा अब निरक्षरता के अन्धकार को मार भगायेगा और सभी लोग पढ़ लिख जायेंगे। हमारे मंत्री साहब मुबारकबाद के भागी होंगे और हम सबको खुशी होगी। शिक्षा से सरोकार रखने के कारण शुरू से ही मेरा इससे लगाव रहा और गवर्नमेन्ट के आर्डर के मुताबिक और अपने मनसे भी हम लोगों ने इसमें जब-जब जरूरत पड़ी सहयोग दिया और कोशिश की कि यह योजना कामयाब हो। लेकिन अपना जाति तजरबा हुआ कि यह Mass literacy का काम इस तरह बेकार हुआ और इस पर जितना रुपया बरबाद हुआ शायद गवर्नमेन्ट के किसी दूसरे काम पर खर्च नहीं हुआ था। इसमें इतना रुपया इतना बड़ा नाम लेकर बेकार खर्च किया गया। मैं गवर्नमेन्ट के सामने उसी के रेकार्ड की बात रखना चाहता हूँ। मेरा सरोकार भागलपुर में बांका से और सन्ताल परगना में महगाँवा से था जो दोनों के intensive mass literacy मान्य थे और हम जानते हैं कि गवर्नमेन्ट के पास रिपोर्ट आई थी कि उन इलाकों में अब एक भी आदमी निरक्षर नहीं है। इसकी सत्यता का प्रमाण आपको अभी भी रजिस्टरी आफिस से चल सकता है। आप यहाँ के रेकार्ड को देखें तो पता चलेगा कि वहाँ साक्षरता किस दर्जे तक पहुँची है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टरी कराने वाले आदमियों में कौन दस्तखत करता है और कौन ठप्पा देता है। यह भी मालूम हो जायेगा कि जिन आदमियों का काम साक्षर लिस्ट में रखा गया है वे ठप्पा देते थे या दस्तखत करते थे। आज भी वही हो रहा है। वही रवैया, वही ढंग आज भी साक्षर बनाने का है। हम जानते हैं जैसे काम होता है जिन अफसरों के जिम्मे यह काम दिया जाता है उन्हें हम जानते हैं। जब डिपार्टमेन्ट की तरफ़ से कोई हिदायत जाती है तो वे कहते हैं कि काम हो चाहे न हो मगर कागज तो तैयार रखें। कई जगह मेरा इन अफसरों से सरोकार

भी रहा है। उन अफसरों का कहना है कि हमारा रेकार्ड ठीक रहना चाहिये। जब कोई देखेगा तो रेकार्ड ही न देखेगा। तो यह काम जो इतना महत्वपूर्ण है केवल कागज में है वास्तव में कहीं नहीं है। कागजी घोड़ा दौड़ाना ही इसके अफसरों ने कार्य की इतिश्री समझ ली है। अभी हमारे मित्र ने कहा है कि सोलह आना में एक आना कामयाबी हुई है हम तो कहते हैं कि एक पाई भी कामयाबी नहीं हुई है। हो सकता है कि दस पाँच आदमियों ने पढ़ लिया हो यह बात दूसरी है मगर इस काम को जिस तरह चलाया गया और आज भी चलाया जा रहा है उससे कामयाबी की उम्मीद नहीं है। जिन अफसरों के जिम्मे यह काम दिया जाता है उनकी additional आमदनी का जरिया यह एक बन गया है। उनको यही फिक्र रहती है कि रुपया किस तरह से बचा लिया जाय। अगर कोई ईमानदार अफसर होता है तो वह चाहता है कि कुछ काम हो और जनता की कुछ भलाई हो लेकिन वह एजेन्सी जिसके जिम्मे यह काम रहता है वह उसको रोक देती है। वे लोग तो देखते हैं कि वास्तव में काम होगा तो सब रुपया खर्च हो जायेगा, बचेगा क्या। इसलिये वे उनको आगे नहीं बढ़ने देते और कह देते हैं कि केवल कागजी घोड़ा दौड़ाओ और वास्तविक काम कुछ न करो। मैं भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर की बात कह सकता हूँ। वह Intensive area है। जिनके जिम्मे काम दिया गया था वे बड़े उत्साही और ईमानदार थे। उन्होंने वास्तव में काम करना चाहा लेकिन उनको रोक दिया गया। उनको वहाँ से तबदील कर दिया गया और उन पर जुल्म किया गया। सब जगह की बात तो हम नहीं कह सकते और न जानते हैं मगर अन्दाजा यही है करीब-करीब सभी जगह की यही हालत होगी। उस मिनिस्टरी में कुछ कामयाबी नहीं हुई। इसबार भी गवर्नमेन्ट ने इसको शुरू किया है लेकिन उम्मीद वही है। दो क्षेत्रों की देखभाल का काम हमारे जिम्मे भी था। हम तो कागज़ी देख भाल नहीं करते थे। हम तो जहाँ पढ़ाई होती थी वहीं जाकर निरीक्षण करते थे। माफ कीजियेगा, मैं सच कहता हूँ। वाकई में काम कुछ नहीं होता है कागज में काम खूब दिखलाया जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि यह एक आमदनी का जरिया बन गया है। गत बार कई आदमियों पर मुकदमें चले थे और उनको जेल हुआ था। इस बार भी अगर आप ठीक से जाँच पड़ताल करें तो बहुत से अफसरों पर मुकदमा चल सकता है और वे गबन के मामले में जेल जा सकते हैं।

यह चीज खराब नहीं है। सामूहिक शिक्षा एक उत्तम चीज है। इसका उद्देश्य ऊँचा है और इसकी हमारे प्रान्त में बड़ी जरूरत है। लेकिन जो रवैया अख्तियार किया गया है, जो रास्ता अपनाया गया है उससे यह काम नहीं हो सकता है। आप ने पुराना तरीका अपनाया है। पुराने तरीके से काम नहीं चलने

का। आप पुरानी परिपाटी से काम कर रहे हैं तो जो इसका नतीजा होना चाहिये वह नहीं हो सकता है और न हो रहा है। जितना रुपया आप इस पर खर्च कर रहे हैं वह बेकार हो रहा है। हमने सुझाव पेश किया था कि इस सामूहिक शिक्षा के बदले लाजिमी शिक्षा कर दिया जाय। हम समझते हैं कि यह सुझाव ठीक है क्योंकि यह इस तरीके से चलाया जा रहा है कि इससे कोई फायदा नही है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सामूहिक शिक्षा खराब है बल्कि उसके चलाने का तरीका खराब है। यदि यथार्थ रूप से इसको चलाया जाय तब तो यह रकम थोड़ी है। इस रकम से काम नहीं चल सकता है लेकिन जिस तरीके से चल रहा है उससे तो यह रुपया भी बरबाद हो रहा है। हम तो कहेंगे कि इसको बन्द करके शिक्षा प्रचार करने का कोई दूसरा इन्तजाम किया जाय तो अच्छा होगा। इसमें गलती यह होती है कि सामूहिक शिक्षा के नाम पर बूढ़े लोगों को भी उसी ढंग से पढ़ाया जाता है जिसे ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है। दोनों को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है।

खैर, वह तो शिक्षा नीति की बात है। मगर जो तरीका है वह खराब है उससे लाभ नही होगा। आज भी जो रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के पास आती होगी उससे स्पष्ट हो जायेगा कि वास्तव में कितना काम होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बेकार बरबादी को रोक कर इस रुपया को दूसरे मद में खर्च किया जाय।

* MR. JAGAT NARAIN LAL: श्रीमान् स्पीकर साहब ! मैं इस प्रस्ताव के कुछ अंशों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परन्तु यह जो मोशन है जो बड़ी रकम (huge sum) रखी गयी है उसे हटा लिया जाय मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह रकम बहुत थोड़ी है। जिस समय निरक्षरता निवारण (Mass literacy) का काम शुरू हुआ था तो हमने उसका बहुत जोरों से समर्थन किया था और मैं अपने मित्र अग्रवाल जी से भी मिला था जिन्होंने इलाहाबाद म्युनिसपैलिटी में निरक्षरता निवारण (Mass literacy) का प्रोग्राम शुरू किया था। जब यह कैम्पेन यहाँ शुरू हुआ तो उनको यहां बुलाया गया था। उस समय निरक्षर जनता में जो उत्साह पैदा हुआ था उसे कई जगह देखने का मुझे मौका भी मिला और मैंने उसमें कुछ मदद करने की कोशिश भी की। यह काम खूब मजे में शुरू हुआ था, और काम जोरों से बढ़ा था। लेकिन साथ ही साथ हर काम जिस मशीनरी द्वारा शुरू होता है उसमें कल पुरजों की वजह से खराबियां पैदा होने लगती हैं उसी प्रकार यहां भी खराबियां पैदा होने लगी थीं और उसके अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट भी हट गई जिसके कारण उसके

* speech not corrected by the hon'ble member.

अन्दर की रूह (Spirit) छूट गई और केवल कंकाल शरीर रह गया। चूंकि काम की शैली में खराबी आ गई इसलिए निरक्षरता निवारण (Mass literaay) का प्राविजन न रखा जाय-या थोड़ा रखा जाय, इसका मैं समर्थन नहीं करता। जब कि मैं सोचता हूं कि स्वराज्य आने वाला है और साथ ही साथ इस मुल्क की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए जितनें लोग विदेशी राज्य में जाहिल हो गए थे उनको पढ़ाने लिखाने में यदि हमारी सरकार ध्यान दे तो यह सारी समस्या शीघ्र हल हो जाएगी।

अब एक तरफ सार्जेंट स्कीमे (Scheme) है जिसमें करोड़ों रुपये का खर्च है और जो जल्दी नहीं हो सकता। उसके बाद जो निःशुल्क—अनिवार्य शिक्षा (Free compulsory education) म्युनिसिपैलटियों में चल रही है जिसे म्युनिसिपैलीटियों के नियम के अनुसार शहरों में चलाई जाती हैं उसके अन्दर जो खर्चा है उसे भी मैं देख रहा हूँ।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (Free and compulsory education) कर सकेंगे या नहीं, उसका खर्च जुटा सकेंगे या नहीं, ये चीजें अलग हैं, अपनी जगह पर हैं। लेकिन यह प्रस्ताव पेश किया जाय कि यह २ लाख ६३ हजार की रकम हटा कर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (Free and compulsory education) किसी एरिया में लागू कर दी जाय तो यह विचार ठीक नहीं है, गलत है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ और जोर देकर कहना चाहता हूँ कि जो सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) की स्कीम चालू हुई है उस स्कीम को वे जोरों के साथ चालू करें और काफी रकम के साथ चालू करें। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण (Post war Reconstruction) के फंड से इसके लिए काफी रकम आनी चाहिए थी, ऐसा करना उनका कर्त्तव्य होना चाहिए था। साथ ही साथ जैसा मेरे दोस्तों ने सुझाया कि चूँकि बहुत सी बनावटी बातें हैं इसलिए एक दूसरी मशीन evolve करनी होगी जिसमें अनुभवी और जिम्मेदार लोगों को रखें, जहाँ वे लोग केवल इस ख्याल के नहीं रहें कि कुछ आँकड़े (figures) बढ़ा कर कुछ आमदनी बढ़ा लेनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनमें लग्न हो और जो popular संस्थायें हों उनसे पूरी मदद लेनी चाहिए। मैं इतना ही कहने को उठा हूँ। मैं सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) का जोरदार समर्थक हूँ और आज भी, जब कि उसके अन्दर में खराबी आ गयी है, उसका जोरदार समर्थन करना चाहता हूँ और समर्थन ही नहीं बल्कि दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के जितने लोग हैं यानी ४० करोड़ लोगों को अगर साक्षर बनाना चाहते हैं, बच्चों को छोड़कर जो बच जाते हैं उनको, तो इसके सिवा दूसरा जरिया नहीं है कि सामूहिक साक्षरता

(Mass literacy) का प्रोग्राम चलाया जाय। उसके अन्दर अवैतनिक कर्मचारी (honorary workers) या अर्द्ध अवैतनिक कर्मचारी (semi-honorary workers) रखे जाँय और उनके अन्दर spirit पैदा करके उत्साह पैदा करके popular education के लिए काम किया जाय। मैं इतना ही कहने के लिए उठा हूँ और फिर शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ कि वे यह रकम और बढ़ायें। यह तो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। आप मशीनरी को ठीक करें, ढंग (method) को ठीक करें। फिल्म के जरिये, सिनेमा के जरिये, जिस जरिये से हो सके ऐसा ढंग (method) evolve करना चाहिए कि जो बूढ़े या अधेड़ दिन रात काम करके शाम को थके हुए घर आते हैं मनोविनोद के साथ-साथ उनकी शिक्षा भी हो। एक सरकारी (official) कमिटी या गैरसरकारी (non-official) कमिटी या सम्मिलित (mixed) कमिटी बना कर राय ले करके इस काम को जोरों से चालू करना चाहिए।

RAI BAHADUR SYAMNANDAN SAHAYA: Sir, I rise to make a few submissions in connection with the cut motion which is under discussion. I had no desire to participate in the debate as the general trend of the expression of opinion in this House was going, in my opinion, in the right direction till my hon'ble friend ~~Mr. Jagat Narain Lal,~~ intervened in the debate. There has been no expression of opinion from any quarter in this House so far that there should be no attempt at educating the masses. Everyone has advocated that it was the duty of Government rather the primary duty of Government to arrange for adequate educational facilities for the people and to make special provision and special arrangement for removing illiteracy. The whole question under discussion, however, is whether the scheme so far in existence not only during the previous Congress Government regime, but also during the 12 months during which they have now been running the Government has produced any tangible results in the direction of mass literacy. It will have to be conceded, Sir, that in that respect the opinions expressed by the mover of the cut-motion ~~and by Pandit Budhinath Jha~~ has complete corroboration from all of us. From the personal experience of most of us as to how this particular section of the Education Depart-

ment has been functioning in a country like India and in a province like Bihar where illiteracy has such high percentage among the massage we have to state with ~~brutal~~ frankness that we cannot possibly afford to spend any money on mere advertisement. I am not trying to exaggerate or minimise things when I state that the expenditure so far incurred on this mass literacy compaign is more or less an expenditure incurred on advertisement. It will not be possible, I know, Sir, for Government to accede to the demand that the entire provision be omitted. Perhaps it will not be proper for Government to accede to that demand. But the least they can do is to announce in reply to the cut-motion, which is before the House today, that Government are going to appoint a Committee to consider what advantages have been derived from the scheme so far and what should be done in order that the scheme may really achieve the object with which it was started. I think even the Hon'ble Minister for Education cannot deny and if he does so, let me say, that nobody either in this House or outside will accept, that mass literacy compaign has not achieved the object for which it was started. Now if he concedes that point, then it is up to the Government to go into the matter carefully along with others who have got some experience of it and secure advice and then lay down rules and devise ways and means by which the expenditure incurred may become fully useful to the citizens of the province and the Government may achieve the objects which they have in view. There will be no use replying to a debate like this in the usual official style. It is a serious proposition and has been put by two emiment congressmen. They have expressed their personal experience as to what is happening and I must say—what I am doing by my personal experience–that it is in the interest of the Exchequer of the country and it is for the good name of the Congress Government that the matter be investigated carefully by a committee which. I hope, the Education Minister will announce today.

MR. SIDIV HEMBROM: माननीय सदर साहब, मुझे भी इस

कटौती के प्रस्ताव (cut-motion) के सम्बन्ध में कुछ कहने की ख्वाहिश है। इस कटौती के सम्बन्ध में मुझे कहना यह है कि सामूहिक साक्षरता (Mass literacy) आदिवासियों से जिस किस्म की कठिनाइयाँ (difficulties) या/जो कुछ भी बाधा होती है उन सबको आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे आदिवासियों में जैसी निरक्षरता (illiteracy) है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेन्ट को जरूर कुछ करना चाहिए, उसको, दूर करना जरूरी है। लेकिन इसके लिए जिस किस्म के साधन वहाँ पर काम में लाये जाते हैं उनके बारे में कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ।

हम देखते हैं कि हमारे आदिवासी भाई अपनी भाषा छोड़ कर, जैसा सिंहभूमि जिले की हालत इस वक्त है, कोई दूसरी भाषा नहीं समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे आदिवासी भाई जो बूढ़ा या जवान हैं और अपनी भाषा छोड़ कर दूसरी भाषा को नहीं समझ सकते हैं उनके लिए Mass literacy centres में हिन्दी पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। पिछले १६ तारीख मार्च महीना को मैं Mass literacy centres को देखने गया था और तीन गावों में पूछा तो पता लगा कि कोई पढ़नेवाला नहीं है। तीन चार वर्ष पहले पढ़ायी होती थी, लेकिन इस समय राशनी की कमी से या और किसी चीज की कमी से या कोई और वजह से Mass literacy को चलाने वाले लोगों में उत्साह की कमी से, Mass literacy का काम बन्द हो गया है।

एक गाँव में मैंने कुछ लड़कों को पाया और उनकी संख्या ३२ थी। इनमें से चार पाँच जवान आदमी थे और जब मैंने उनसे स्कीम की पहली सबक को पढ़ने को कहा तो वे बड़ी मुश्किल से दो तीन लाइन पढ़ सके। नीचे जो कठिन लाइन थी, कठिन शब्द थे उनको वे नहीं पढ़ सके। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं तो उन लोगों ने कहा कि पाँच-छ महीने से पढ़ रहे हैं। यही तो intensive area की बात है। इसलिए मेरा विश्वास है कि दूसरी भाषा की पढ़ायी से उनको बड़ी कठिनाई हो रही है और जो कुछ खर्च हो रहा है सब बेकार हो रहा है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उनको अपनी भाषा 'हो' में पढ़ाया जाय; वे बहुत जल्द पढ़ और समझ सकेंगे। कांग्रेस की पिछली मिनिस्ट्री के समय से इस Mass literacy का काम चालू है लेकिन अभी तक बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं या पढ़ कर भूल गये हैं। अभी पंडित बुद्धिनाथ झा ने जो कुछ कहा है उससे मेरी पूरी सहानुभूति है। अभी तक mass literacy में पढ़ने वाले हमारे आदिवासी हिन्दी में लिख पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव (suggestion) है कि mass literacy का प्रचार local language में हो तो आदिवासियों को बहुत फायदा हो सकता है। कितना ही प्रयत्न

करने पर भी उनको हिन्दी पढ़ने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि mass literacy के प्रचार का प्रबन्ध वहाँ के local language में हो जिससे आदिवासी लोग पढ़ सकें। मुझे mass literacy पर और कुछ कहना नहीं है। केवल इतनी बातों को ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

THE HON'BLE MR. BADRI NATH VERMA: जनाब सदर साहब, इस मोशन के ऊपर अभी तक जितनी speeches हुई हैं उनसे यह साफ जाहिर होता है कि लोग mass literacy के खिलाफ उतना नहीं हैं जितना कि वे इसके काम करने के ढंग के खिलाफ हैं।

MR. PRABHUNATH SINHA:—Mass literacy के खिलाफ थोड़े ही लोग हैं।

THE HON'BLE MR. BADRI NATH VERMA: अच्छी बात है। Mass literacy का जो उद्देश्य था वह अभी तक पूरा २ सफल नहीं हुआ है यह मैं मान लेने को तैयार हूँ। पर जो खराबियाँ बतायी गयी हैं वे तो और कामों में भी है। श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने कहा है कि बड़े बूढ़ों के पढ़ाने का तो इन्तजाम हो रहा है और हुआ है लेकिन बच्चों को पढ़ाने का कोई ठीक इन्तजाम नहीं हुआ है जिससे पूरा लाभ नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक बड़े बूढ़ों को ज्ञान नहीं होता है तब तक वे लोग अपने लड़कों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जितनी भी रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेन्ट के पास आयी हैं उनको जांच करने से यह साफ साफ मालूम होता है कि जिन जिन इलाकों में Mass literacy का थोड़ा बहुत काम हुआ है वहाँ के स्कूलों में लड़कों की संख्या बढ़ गयी है। उन इलाकों में शिक्षा की चाह और भी बढ़ गयी है और बहुत से नये स्कूल भी खुल गये हैं। अगर Mass literacy में पूरी सफलता नहीं मिली है तो इसका यह कारण नहीं है कि Mass literacy में किसी तरह की बुराई है। जब स्कीम लागू की गयी थी तब शुरू में उसमें जिस तरह की लोगों ने श्रद्धा दिखाई थी वह बहुत दिनों तक नहीं रही। इसलिए जो काम होना चाहिए था वह उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सका। हाँ उसमें कुछ खराबियाँ भी आ गयी हैं और उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर इस तरह की खराबियाँ और कामों में भी है, आप लोग Primary Education को ही लीजिये। अगर आप लोग उस पर विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि जो लड़के पढ़ते हों उनमें सौ में पचहत्तर लड़के कुछ ही दिनों के बाद वे जो कुछ पढ़ते लिखते हैं उसे भूल जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की है। अगर Mass literacy के बड़े बूढ़े छः या तीन महीने की पढ़ाई के बाद

पढ़ना छोड़ दें और उसे भूल जाँय तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अभी कहा गया है कि रिपोर्ट आती है वह गलत रहती है और लोग पढ़ने वालों की संख्या (Figures) बढ़ा कर देते हैं और काम असली में कुछ नहीं होता है। मैं यह मानता हूँ कि कहीं-कहीं पर संख्या बढ़ा कर भेजी जाती हो। इसके सम्बन्ध में मैं Primary स्कूल की ओर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बराबर यह रिपोर्ट आती है कि कहीं-कहीं नाम के लिए ही स्कूल हैं और कागज पर ही लड़कों के नाम लिखे हैं। वास्तव में बहुत कम लड़के पढ़ते हैं। स्कूल की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की जाती है वह गलत रहती है। जिन म्युनिसिपैलिटियों में Compulsory education जारी है, वहाँ भी जो Attendance register दाखिल की जाती वह सच्ची नहीं रहती है। तो जो खराबियाँ हैं वे हर जगह हैं और खराबियाँ इस वजह से हैं कि जितने उत्साह से काम शुरू होता है पीछे उतना उत्साह नहीं रहता है। उत्साह की कमी से जितना काम Mass literacy का होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है।

इस वजह से शिकायतों को कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर अब उनको दूर करने के बारे में हमको सोचना है और जिन उपायों से यह काम अच्छी तरह चलाया जा सकता है उन उपायों को खोजना है। केवल शिकायतों का जिक्र करके अपने काम की इतिश्री समझ लेना तो ठीक नहीं है। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय ने तजवीज पेश की है कि एक कमिटी मुकर्रर की जाय। मैं तो सिर्फ कमिटी ही नहीं चाहता हूँ बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि इस काम में जो लोग दिलचस्पी लेते हैं उन सभी की राय लेकर काम किया जाय और कम से कम रुपये में ज्यादा से ज्यादा फायदा निकाला जाय। गवर्नमेन्ट चाहती है कि यह काम अच्छी तरह से और बड़े पैमाने पर किया जाय। और उसमें उन सभी चीजों का समावेश किया जाये जिनका लोगों के जीवन से सम्बन्ध है और उन्हें फायदा पहुँच सके। गवर्नमेन्ट का जो प्रोग्राम है उनमें ये सभी बातें हैं। बजट में ये अभी नहीं आयी हैं। पर वे Post-war reconstruction scheme में है। सिर्फ किताब पढ़ा कर ही नहीं बल्कि हर तरीके से जैसे चित्र दिखला कर लेक्चर के जरिये, रेडियो का व्यवहार कर और लाइब्रेरी खोल कर लोगों को शिक्षित करना है। जिन-जिन उपायों से लोगों का ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, वे सभी चीजें इस स्कीम में है। नये प्रोग्राम में जितने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं उन्हीं को केन्द्र बनाने का विचार है। इन केन्द्रों में लायब्रेरियाँ खोली जायेंगी और रेडियो रखे जायेंगे। प्रब्लिसिटी विभाग के लोग बीच-बीच में जाकर वहाँ लेक्चर दिया

करेंगे और अपने चित्र दिखायेंगे। छोटी-छोटी किताबें लिखी जायेंगी जो देहात के लोगों के लिये उपयोगी हों। गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से हफ्तवार अखबार निकालेगी जो देहात के लोगों के लायक हो। ये केन्द्रों में मुफ्त दिये जायँगे। इतना ही नहीं, केन्द्र के संचालकों के जिम्मे यह काम रहेगा हफ्ते दश दिन में वे अगल बगल के लोगों को जमा करके उनको अखबार सुनायें और अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ कर सुनायें। लोगों के लाभ की जो जो काम गवर्नमेन्ट करेगी या लोगों को जिन बातों से लाभ होने का अंदाज होगा उनको बीच बीच में लेक्चर, अखबार और किताबों के जरिये उन्हें बताया जायेगा। कृषि विभाग, वेटर्नरी और को-आपरेटिव विभाग इत्यादि की जानकारी लोगों को कराई जायेगी। यानी गवर्नमेन्ट और जनता दोनों को एक दूसरे के कामों और जरूरतों को बताया जायेगा और ग्रामीणों की जरूरतों से विभाग को अवगत कराया जायेगा। श्री सुधांशु जी ने कहा था कि लोगों में ज्ञान का प्रचार किया जाय, अच्छी जानकारी पैदा की जाय और साथ ही साथ लोगों में पढ़ने की इच्छा भी पैदा की जाय। इन सारी बातों का समावेश नई स्कीम में हैं।

मैं चाहता हूं कि अगले साल से थोड़ा थोड़ा करके इस नयी स्कीम को शुरू किया जाय। ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। इसलिये थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जायेगा। विभिन्न विभागों को co-ordinate करके काम चलाया जायेगा जिसमें duplication न हो। मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो खराबियाँ हैं उनको दूर करने की जरूरत हैं। चूंकि बुराई हैं इसलिये किसी काम को छोड़ नहीं देना चाहिये। बुराई कहां नहीं है? सभी विभागों में बुराई है। तो क्या इस वजह से सब कामों को बन्द कर देना उचित होगा? खराबियों को दूर कर काम आगे बढ़ाना होगा। मैं इस मामले में सभी भाइयों की सहायता और सहयोग चाहता हूँ। मैं उनसे सलाह करूँगा कि यह काम कैसे अच्छी तरह चलाया जा सकता है।

MR. LAKSHMI NARAYAN SUDHANSHU: प्रमुख महोदय, अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना जो वक्तव्य दिया है उसकी आलोचना करने से पहले मैं और सदस्यों ने जो विचार प्रगट किए हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले श्री बुद्धिनाथ झा ने मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा है। उनका अपना प्रत्यक्ष अनुभव है और नमूना के लिए कहा कि बांका सब रजिष्ट्री आफिस में इसकी जानकारी हो सकती है कि पिछले कार्यक्रम के अनुसार साक्षरता का प्रचार कहाँ तक हुआ है। उसका यही प्रमाण है। केवल बात वहीं तक नहीं है और जगहों में भी जहाँ जहाँ इस तरह का काम हुआ है उससे भी लगभग ऐसा ही नतीजा निकलता है।

माननीय सदस्य जगतनारायण लाल ने कहा है कि मैं इस प्रस्ताव के कुछ अंशों से सहमत हूँ और कुछ से नहीं। सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि वे इस रकम को बहुत कम समझते हैं। इतनी थोड़ी रकम इतने बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत थोड़ी है। लेकिन मेरे प्रस्ताव का यह मंशा नहीं है। मेरे प्रस्ताव का यह आशय है कि इतनी बड़ी रकम से जितना लाभ पहुँचना चाहिए वह खर्च के अनुपात से बहुत कम है। हाँ! रकम के लिहाज से बहुत थोड़ी है। उस रकम से जनता को जितना लाभ पहुँचना चाहिए उतना लाभ नहीं पहुँच रहा है। यदि सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करके इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल प्रयत्न करे तो मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में इतना रुपया खर्च करना क्षम्य है।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गवर्नमेन्ट महसूस करती है और शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को कबूल किया है कि उसमें बहुत खराबियां है, जैसी हर चीज में होती है। मनुष्य की बनाई हुई स्कीम या योजना बिलकुल निर्दोष नहीं होती, उसमें अनेकों दोष होते हैं। यह योजना भी मनुष्य की बनाई हुई है अतः इसमें दोष होना भी स्वाभाविक है।

इस बात को सभी जानते हैं कि बहुधा बड़े लोग अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करते हुए अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते और न उसे दूसरों के सामने प्रगट करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय शिक्षा-मंत्री ने अपनी गलतियों को महसूस किया है और अपनी कमजोरियों, अपनी त्रुटियों को परिषद् (house) के सामने रखा है और उन्होंने स्वीकार किया है कि वे उसके सुधार का प्रयत्न करेंगे।

राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय ने जो सुझाव रखा है मैं समझता हूँ वह एक अच्छी योजना है। उसे यदि शिक्षा मंत्री महोदय जाँच करें और देखें कि वास्तव में इसमें क्या क्या खराबियां हैं और उसका सुधार कैसे हो सकता है?

मैं समझता हूँ कि इनके सुधार के लिए वे एक कमिटी नियुक्त करें और उस कमिटी के द्वारा अथवा जिस प्रकार हो सके उन त्रुटियों को दूर करने की पूरी कोशिश करें जिससे जनता को पूरा २ लाभ पहुँच सके।

मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री यह जानते हैं, क्यों कि वे भी हमारे और आपके बीच के ही रहने वाले हैं, उन्हें भी अपनी कमजोरियाँ

मालूम हैं। उन्होंने अपनी कमजोरियाँ कबूल की हैं। इसलिए मैं इस उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि वे इस दिशा में अधिक ध्यान देंगे और इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए और अधिक काम करने की चेष्टा करेंगे।

अतः मैं परिषद् (House) से इजाजत चाहता हूँ कि मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव को वापस ले सकूँ।

THE HON'BLE THE SPEAKER: Does the Hon'ble Minister also propose to give a second reply.

THE HON'BLE MR. BADRI NATH VERMA: No, Sir, there is no necessity.

THE HON'BLE THE SPEAKER: The hon'ble member seeks the leave of the House for withdrawing his motion. Has he the leave of the House ?

HON'BLE MEMBERS: Yes, yes.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

(Srimati Sushama Sen rose to move her motion no. 580.)

THE HON'BLE THE SPEAKER: In this connection, I would like to make an observation. There is a comprehensive cut-motion, no. 592, standing in the name of Sir Chandreshwar Prasad Narayan Sinha to discuss the general policy relating to the educational reorganisation in the province. I think the connected questions of policy relating to female education, introduction of free and compulsory education, Sanskrit education and other allied subjects can be usefully and advantageously discussed on motion no. 592 and I would then try to accommodate as many members as possible.

SRIMATI SUSHAMA SEN: Thank you, Sir. That will serve my purpose.

THE HON'BLE THE SPEAKER: I think that is also the sense of the House.

HON'BLE MEMBERS: Yes, Sir, yes, Sir.